कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला हरदा (म.प्र.)

Email: dmharda@nic.in,

दूरभाष :(07577) 225012

क्रमांक/13008 / एस.डब्ल्यू./कोरोना/2020 हरदा,दिनांक 1/11/2020

आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र कमांक/5098/4040/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 9 नवम्बर, 2020 से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर 2019 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट एवं प्रिंसिपल बेंच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT, नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश दिनांक 9.11.2020 की प्रति प्रेषित कर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के बिन्दु कमांक 48 में आदेशित किया गया है कि

1) There will be total ban against sale or use of all kinds of fire crackers in the NCR from midnight of November, 9-10,2020 to the midnight of Novemver 30-December 1,2020, to be reviewed thereafter.
2) Deirection (1) will also apply to all cities/towns in the country where the average of ambient air quality during Novemver (as per available data of last year) fall under ""poor"" and above category.
3) The cities/towns where air quality is "moderate" or below, only green crackers be sold and the timings for use and bursting of crackers be restricted to two hours during festivals, like Diwali, Chatt, New Year/Christmas Eve etc, as may be specified ty the concerned State.

   This direction is on pattern of direction of the Hon'ble Supreme Court in (2019) 13 SCC 523 which we are applying to areas moderately polluted or below air quality due to aggravated effect during Covid-19 as already noted,. If nothing is specified by the /State, timing will be 8 to 10 pm on Diwali and Gurupurb, 6 am to 8 am on chatt and 11.55 pm to 12030 am during Christmas and New year eve (which have yet to come and do not all in November but if ban continues) and not otherwise.

आगामी कुछ दिनों में ठंड प्रारम्भ होने एवं त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखों के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है। अत एव जिले में वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 249 /2020 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 की कण्डिका 48 (iii) के परिपालन में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते है:

1. हरदा जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखो के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकारके पटाखो का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
2. ग्रीन पटाखो को चलाने हेतु निम्नानुसार समयावधि का पालन करना होगा :-

Scanned with CamScanner

I. दीपावली एवं गुरूपर्व त्यौहारो के दिन- 02:00 घण्टे (रात्रि 08.00 से 10.00 बजे तक)

II. छठ पर्व के दिन- 02:00 घण्टे (प्रातः 06.00 से 08.00 बजे तक)

III. क्रिसमस एवं नववर्ष की संध्या पर - 35 मिनिट (रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक)

यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आज दिनांक 11/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

<u>उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।</u>

(संजय गुप्ता)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-हरदा

पृ.क्र/ 13009 /एस.डब्ल्यू./कोरोनो/2020 हरदा,दिनांक/11/11/2020

प्रतिलिपि:-

1) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

2) आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद।

3) पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद।

4) मान0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5) पुलिस अधीक्षक हरदा।

6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा।

7) अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व), समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हरदा

8) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त थाना प्रभारी जिला हरदा।

9) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) हरदा।

10) परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, हरदा।

11) उप संचालक, जन संपर्क हरदा की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

12) प्रभारी अधिकारी, कलेक्टोरेट, एन.आई.सी., हरदा की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

13) प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, हरदा।

14) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा।

15) सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, हरदा।

16) थाना प्रभारी समस्त जिला हरदा।

17) सर्व संबंधित................................समस्त अधिकारी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-हरदा

Scanned with CamScanner